

3. यह कि बयनामा रजिस्ट्री का कुल खर्चा स्टाम्प आदि जिम्मे क्रेतागण के होगा विक्रेतागण से कोई वास्ता व सरोकार न होगा।
4. यह कि क्रेतागण को विक्रीत भूखण्ड पर कब्जा नहीं दिया जा रहा हैं बयनामा के समय दिया जायेगा।
5. यह कि प्रस्तावित क्रेतागण न्यायिक अधिकारी है और वर्तमान में अपर जिला जज फास्ट ट्रिक कोर्ट-॥) मऊ व अपर जिला जज (पाक्सो) मऊ के पद पर है और उन्हे अचल सम्पत्ति क्रय करने से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय से अनुमति की आवाश्यकता होती है अतः आज यह अनुबन्ध कराया जा रहा है और बयनामा माननीय उच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त हो जाने के बाद 6 माह के अन्दर किया जायेगा।
6. यह कि इकरारनामा बय की पाबन्दी विक्रेतागण व क्रेतागण व दोनों के वारिसान व कायम मुकामान पर लागू होगी।
7. विक्रीशुदा भूखण्ड आवासीय प्रयोजनार्थ है जिस पर कोई निर्माण नहीं है।
8. यह कि उपरोक्त भूखण्ड में यदि किसी प्रकार का कोई विवाद पाया जाता है या विक्रीत भूखण्ड कही भी बय व